



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180213

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 7960 वर्ष 2026

सर्तेंद्र राणा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अरविंद गिरी, जितेंद्र कुमार सिसोदिया, कृष्णा गौतम, स्वाति पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 80/2026, धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) बी.एन.एस. तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7, थाना-जंसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर, में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में आवेदक को झूठा फंसाया गया है। आवेदक का नाम सह-अभियुक्त के संस्वीकृत बयान में सामने आया है। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम है, तथापि उसे घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया था और न ही उसके कब्जे से कोई बरामदगी की गई थी। आरोप यह है कि अभियुक्तगण चार अलग-अलग वाहनों में 'यूरिया' के 454 बोरे ले जा रहे थे। तनवीर तेली, राहिल राणा, रियाशत, मोहित और मनीष नामक पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। सह-अभियुक्त तनवीर तेली, रियाशत, मोहित और मनीष को इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत प्रदान की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि सह-अभियुक्त के संस्वीकृत बयान के अतिरिक्त आवेदक को प्रश्नगत अपराध से जोड़ने वाला कोई अन्य प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। जिन वाहनों का कथित रूप से अनुदानित उर्वरक के परिवहन के लिए उपयोग किया जा रहा था, वे आवेदक के स्वामित्व में नहीं हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि आवेदक का दो मामलों का आपराधिक इतिहास है, जो आवेदक के एक व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी द्वारा दर्ज कराए गए हैं और वर्तमान मामले में भी उसे केवल आवेदक के व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी, अर्थात् मैसर्स मदनानी ट्रेडर्स के स्वामी वसीम खान की साजिश के कारण फंसाया गया है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि, इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत प्रदान की गई है। आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में स्पष्टीकरण पर भी विद्वान ए.जी.ए. द्वारा विवाद नहीं किया गया है। विद्वान ए.जी.ए. ने इंगित किया है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा अग्रिम जमानत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निरस्त किए जाने के पश्चात आवेदक के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं और वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।

5. उक्त मुद्दे पर पुनः तर्क प्रस्तुत करते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक अपने विधिक उपचारों का लाभ उठा रहा है और फरार नहीं हुआ है। गैर-जमानती वारंट पुलिस द्वारा केवल इस न्यायालय के समक्ष आवेदक के वैध दावे को विफल करने के लिए प्राप्त किए गए हैं।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

7. सह-अभियुक्त तनवीर तेली, रियाशत, मोहित और मनीष, जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और जिनके कब्जे से 454 बोरे अनुदानित उर्वरक बरामद किए जाने की बात कही गई है, को इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत प्रदान की गई है। आवेदक का नाम सह-अभियुक्त के संस्वीकृत बयान में सामने आया है। उर्वरक के परिवहन के लिए जिन वाहनों का उपयोग किया जा रहा था, वे आवेदक के स्वामित्व में नहीं हैं। न्यायालय की प्रथमदृष्टया राय में, आवेदक को झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

9. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

10. आवेदक- **सतिंदर राणा** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

- i. आवेदक जब भी अपेक्षित हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा;

11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

31 अगस्त, 2026

ए. पाण्डेय